

उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग-04

अधिसूचना

08 अगस्त, 2025 ई0

संख्या-440/XX-4/2025-E-90406-राज्यपाल, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा-5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों के विचारण हेतु सुश्री नीलम रात्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, हरिद्वार को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ-साथ हरिद्वार में गठित विशेष न्यायालय (Special Court) के न्यायाधीश के रूप में पदाभिहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
शौलेश बगौली,
सचिव।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 23-08-2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 गृह / 386-08-09-2025-50 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)